

अचल / चल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के सहपठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के प्रावधान 8(6) एवं 9(1) के साथ पठित के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। सर्व साधारण को सामान्य रूप से तथा ऋणियों एवं जमानतगीरों को विशेष रूप से सूचित किया जा चुका है कि प्राधिकृत अधिकारी / सुरक्षित ऋणदाता ने बन्धक/प्रभारित निम्न वर्णित अचल सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा कर लिया है। प्राधिकृत अधिकारी ने सम्मानित ऋणियों एवं जमानतगीरों से बैंक / सुरक्षित ऋणदाता को बकाया धनराशि की वसूली हेतु निम्न वर्णित तिथि को "जो है जहाँ है", "जो है जैसे है" एवं "जो कुछ भी है" के आधार पर बिक्री निश्चित की है। आरक्षित मूल्य व अग्रिम जमानत राशि सम्मानित ग्राहकों के खाते के समक्ष तालिका में अंकित हैं।

प्रतिभूत आस्तियों का विवरण

क्र. सं.	शाखा का नाम	बन्धक अचल सम्पत्तियों का विवरण/स्वामियों के नाम (सम्पत्तियों के बन्धककर्ता)	ए) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि बी) बकाया धनराशि सी) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा तिथि डी) कब्जे का प्रकार सांकेतिक/भौतिक	ए) आरक्षित मूल्य (लाख में) बी) ईएमडी सी) निविदा वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि व समय	सुरक्षित ऋणदाताओं को ज्ञात भार का विवरण
	खाते का नाम					
	ऋणी/ जमानतकर्ता के खाते का नाम व पता					
1.	शाखा: माल रोड, कानपुर 1. श्री दीप राज वर्मा पुत्र स्व. ओम प्रकाश, पता- 133/162, 163 फ्लैट नं. 103, माँ हाथी मत्था अपार्टमेंट, ब्लॉक-ओ, किदवई नगर, कानपुर 2. हर्षित राज वर्मा पुत्र स्व. ओम प्रकाश, पता- 133/162, 163 फ्लैट नं. 103, माँ हाथी मत्था अपार्टमेंट, ब्लॉक-ओ, किदवई नगर, कानपुर 3. श्री श्याम सुन्दर तिवारी पुत्र के.एन. तिवारी (हाउसिंग लोन में जमानतकर्ता 524800NC00001029), पता- एलआईजी नं. 16, अम्बेडकर नगर, कानपुर-208007	फ्लैट नं. 103 के भूतल पर स्थित सम्पत्ति स्थित प्लॉट नं 162 एवं 163, ब्लॉक -ओ, किदवई नगर, कानपुर 'माँ हाथी मत्था अपार्टमेंट' के नाम से जाना जाता है, क्षेत्रफल- 51.08 वर्गमी., श्री दीप राज वर्मा पुत्र स्व. ओम प्रकाश के नाम दिनांक 11.08.2011 को बही सं. 1, जिल्द सं. 11390, पृष्ठ नं. 277 से 314 पर क्रमांक नं. 8840 में कार्यालय उपनिबन्धक जोन-3 कानपुर नगर में पंजीकृत। चौहद्दी- पूरब- फ्लैट नं. 102, पश्चिम- फ्लैट नं. 161, उत्तर- फ्लैट नं. 104, दक्षिण- रोड 12.19 मी.	ए) 30.05.2025 बी) रु. 14,47,318.69 (रु. चौदह लाख सैंतालीस हजार तीन सौ अठ्ठारह एवं पैसे उनहत्तर मात्र) सहित अग्रिम ब्याज दिनांक 01.07.2026 से प्रभावी एवं अन्य व्यय सी) 30.08.2025 डी) सांकेतिक	ए) आरक्षित मूल्य रु. 27,81,000.00 बी) ईएमडी राशि रु. 2,78,100.00 सी) निविदा वृद्धि राशि रु. 50,000.00	04.08.2026 दोपहर 12.00 बजे से 04.00 बजे तक	कोई ज्ञात नहीं
2.	शाखा: कालपी रोड, कानपुर 1. श्री बालाजी स्टोर्स पता- 58, कल्यानपुर खुर्द, पनकी रोड, कानपुर- 208017 2. श्री प्रहलाद सिंह पुत्र बाबू सिंह (प्रोपराइटर) पता- 70-बी, कल्यानपुर खुर्द, कानपुर - 208017 3. श्रीमती माधुरी देवी पत्नी प्रहलाद सिंह (बन्धककर्ता) पता 1- 58, कल्यानपुर खुर्द, पनकी रोड, कानपुर- 208017 पता 2- म.नं. 70-बी, कल्यानपुर खुर्द, कानपुर- 208017	आवासीय भूमि व भवन मकान नं. 70बी, मौजा- कल्यानपुर खुर्द, कानपुर स्थित अराजी नं. 70-बी का भाग 0.870 हेक्टे. क्षेत्रफल- 124.44 वर्गगज (104.04 वर्ग मी.) सम्पत्ति की स्वामी- श्रीमती माधुरी देवी पत्नी श्री प्रहलाद सिंह, सेलडीड दिनांक 03.04.2013 के अनुसार बही संख्या 1, जिल्द संख्या 7358, पृष्ठ नं. 267 से 286 तक, क्रमांक 2557 कार्यालय उपनिबन्धक जोन 4, कानपुर में पंजीकृत। चौहद्दी- पूरब- रामकली का मकान, पश्चिम- आराजी का हिस्सा, उत्तर- अन्य का भूखण्ड, दक्षिण- 12 फीट चौड़ी सड़क	ए) 04.06.2021 बी) रु. 30,59,163.25 (रु. तीस लाख उनसठ हजार एक सौ तिरैसठ और पैसे पच्चीस मात्र) सहित अग्रिम ब्याज दिनांक 01.07.2026 से प्रभावी एवं अन्य व्यय सी) 10.09.2021 डी) सांकेतिक	ए) आरक्षित मूल्य रु. 31,30,000.00 बी) ईएमडी राशि रु. 3,13,000.00 सी) निविदा वृद्धि राशि रु. 20,000.00	04.08.2026 दोपहर 12.00 बजे से 04.00 बजे तक	कोई ज्ञात नहीं

ई-नीलामी बिक्री की नियम व शर्तें -

- बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम व शर्तों तथा निम्नांकित अन्य शर्तों के अनुसार होगी।
- सम्पत्तियों की बिक्री "जहाँ है जैसे है", "जो है जैसे है" एवं "जो कुछ भी वहाँ है" के आधार पर होगी।
- प्राधिकृत अधिकारी को ज्ञात सूचना के अनुसार उपर्युक्त वर्णित सुरक्षित आस्तियों का विवरण सही है, किन्तु प्राधिकृत अधिकारी किसी त्रुटि, गलत कथन अथवा कमी के दावे के प्रति जवाबदेह नहीं होगा।